न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 18/2022

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मंछा पुत्र श्री हीरा जाति गरासिया निवासी मोरस तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री देवा पुत्र श्री हीरा जाति गरासिया निवासी मोरस तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना--पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री पी.एल.दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 23.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मोरस, पटवार हल्का मोरस, तह. पिण्डवाड़ा जिला सिरोही के खसरा नं. 157/1573 रकबा 4.00 बीघा किस्म बारानी भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 29.06.2002 के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 962 तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल.दवे द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 157/1573 रकबा 4.00 बीघा किस्म बारानी भूमि क[illegible] अप्रार्थी संख्या एक व दो को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं [illegible] द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की [illegible] सद्भावी काश्तकार नहीं थे एवं आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नही है एवं काश्त भी न[illegible] किया है, एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:13:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक से दो की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वर्तमान में मौके पर खसरा संख्या 157/1573 रकबा 4.00 बीघा किस्म बारानी पर कब्जा काश्त है। यह है कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक व दो को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या एक व दो को मौके पर हल्का पटवारी ने कब्जा सुपूर्द किया था। यह है कि पटवारी हल्का द्वारा द्वेष भावना वश गलत इन्द्राज किया है। यह है कि आवंटन के समय से आज दिन तक लगातार अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है व काश्त करते आ रहे है। पटवारी हल्का ने मौका फर्द तथ्यों के विपरीत बनाई है व गलत बनाई है, मानने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमाकर तथा अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर अनुग्रहित करावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा मोरस, पटवार हल्का मोरस, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 157/1573 रकबा 4.00 बीघा किस्म बारानी भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 29.06.2002 के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 962 तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का मोरस से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.07.2016 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का आंवटन तिथि से आज तक कब्जा है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त फोटोग्राफ विवादित भूमि के ही है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार पिण्डवाडा से खसरा संख्या 157/1573 की स्पष्ट मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जो उनके पत्र क्रमांक/रीडर/2022/2021 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो का खसरा संख्या 157/1573 पर वर्तमान में कब्जा काश्त नहीं होकर खसरा संख्या 153 किस्म बिलानाम सरकार की भूमि पर कब्जा काश्त है एवं खसरा संख्या 157/1573 व खसरा संख्या 157 की भूमि पर श्री सवाराम, श्री गणेश, श्री मंगला पुत्र श्री तेजा जाति गरासिया का कब्जा है। अतः तहसीलदार पिण्डवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो का विवादित खसरा संख्या 157/1573 पर कब्जा काश्त नहीं है। यह है कि अप्रार्थीगण के नाम राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर क[illegible] तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:13:35 IST
Reason: SelfAttested

विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा व काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है एवं न ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कब्जा काश्त किए जाने के सम्बन्ध में

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा पटवार हल्का आदर्श डूंगरी, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 157/1573 रकबा 4.00 बीघा किस्म बारानी भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 29.06.2002 के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार पिण्डवाडा को निर्देशित किया जाता है कि खसरा संख्या 157/1573 पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कब्जा/ अतिक्रमण की नियमानुसार कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:13:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner